



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 1

PART III—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 6, 2015/श्रावण 15, 1937

No. 8]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 6, 2015/SHRAVANA 15, 1937

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2015

सं. 2013/ई एण्ड आर/1(3)/7.—सामान्य सूचना के लिए यह एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि परिचालनिक आवश्यकताओं के मद्देनजर, केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल तथा उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल के क्षेत्राधिकार को संशोधित करने का विनिश्चय किया है।

पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल का क्षेत्राधिकार मौजूदा किमी. 84.474 से बढ़ाकर किमी. 80.300 तक किया जाता है और सीतापुर कैंट, सीतापुर कचहरी तथा थॉम्पसनगंज साइडिंग को, जो इस समय उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल में है, इसमें शामिल किया गया है। तदनुसार पूर्वोत्तर रेलवे तथा उत्तर रेलवे के बीच की सीमा को किमी. 84.474 से सीतापुर सिटी की ओर शिफ्ट कर किमी. 80.300 तक किया जाता है।

क्षेत्राधिकार में उपर्युक्त परिवर्तन 1 सितंबर, 2015 से प्रभावी होगा।

गंगा राम अग्रवाल, सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS**(RAILWAY BOARD)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th August, 2015

No. 2013/E&R/1 (3)/7.—It is hereby notified for general information that keeping in view the operational requirements, Central Government has decided to revise the jurisdiction of Lucknow division of North Eastern Railway and Moradabad division of Northern Railway.

The jurisdiction of Lucknow division of North Eastern Railway has been extended from KM 84.474 to KM 80.300 including Sitapur Cantt, Sitapur Kutchery and Thompsonganj siding which are presently under Moradabad division of Northern Railway. The boundary between North Eastern Railway and Northern Railway is accordingly shifted from KM 84.474 to KM 80.300 towards Sitapur City.

The changes in the above jurisdiction will come into effect from 1st September, 2015.

GANGA RAM AGARWAL, Secy.